न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

WR

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./10122/2004/झुझुंनू

बोयतराम पुत्र श्री खांगाराम जाति जाट निवासी बास क्वेटा तन श्योनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू –मृतक जरिये वारिसान –
1– भागीरथ सिंह पुत्र स्व. बोयतराम मृतक जरिये वारिसान–
1/1–श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी भागीरथ सिंह
1/2–प्रमोद कुमार पुत्र भागीरथ सिंह
1/3–प्रदीप कअैवा पुत्र भागीरथ सिंह
2– रामनिवास पुत्र स्व. बोयतराम
समस्त जाति जाट निवासीगण बास क्वेटा, तन श्योनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– बूंजाराम पुत्र स्व. झाबरराम जाति जाट निवासी बास क्वेटा तन श्योनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू –मृतक जरिये वारिसान–
1/1–मोहनलाल
1/2–विद्याधर पुत्रगण बूंजाराम जाति जाट निवासी बास क्वेटा तन श्योनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू
1/3–जमना पुत्र बूंजाराम पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी बसन्तपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुंनू
1/4–श्रीमती गंगा पुत्री बूंजाराम पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी सोनासर तहसील व जिला झुझुंनू
1/5–श्रीमती सन्तोष पुत्री बूंजाराम पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी ग्राम नूंआ तहसील व जिला झुझुंनू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, उदयपुरवाटी

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजयपाल ढिढारिया, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 21–01–2022

अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 सपठित धारा 221 एवं आदेश 41 नियम 01 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या–11/1992 बउनवानी बूंजाराम बनाम बोयताराम में पारित निर्णय दिनांक 10–06–1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रत्यर्थीगण संख्या–1/1 से 1/5 के पूर्वज बूजाराम ने उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के न्यायालय में एक राजस्व वाद घोषणा एवं विभाजन का प्रतिवादी अपीलार्थीगण के पूर्वज बोयतराम के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम श्योनाथपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 7/2 रकबा 06बीघा 01बिस्वा भूमि के वादी बूजाराम व बोयतराम खातेदार है। प्रतिवादी संख्या–1 को वादी के पिता ने 10बीघा कच्ची जमीन यानि 04बीघा 01बिस्वा पक्की जमीन खसरा नम्बर 7/2 में से दी थी लेकिन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में 04बीघा 01बिस्वा पक्की जमीन चढनी चाहिए थी लेकिन गलती से 06बीघा 01बिस्वा जमीन चढ गयी जबकि खसरा नम्बर 7–2 रकबा 06बीघा 01बिस्वा पुख्ता में से 04बीघा 01बिस्वा पुश्ता पूर्वी तरफ की प्रतिवादी संख्या–1 बोयतराम काश्त करता है व काबिज है तथा खसरा नम्बर 7/2 रकबा 06बीघा 01बिस्वा पुख्ता की बाकी जमीन 02बीघा पुख्ता वादी स्वयं पश्चिमी तरफ की काश्त करता है व काबिज है। अतः वादी को खसरा नम्बर 7/2 रकबा 06बीघा 01बिस्वा पुख्ता वाकै ग्राम श्योनाथपुरा के पश्चिमी हिस्से की 02बीघा पुख्ता का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या–1 को शेष 04बीधा 01बिस्वा पुख्ता पूर्वी तरफ का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार विभाजन किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी बोयतराम की ओर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी को खारिज किये जाने एवं वादी को 02बीघा भूमि से बेदखल करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर, उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त निर्णय दिनांक 13–02–1992 से प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वादी को खसरा नम्बर 7/2 के पश्चिमी हिस्से की 02बीघा भूमि से बेदखल कर कब्जा प्रतिवादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार, उदयपुरवाटी को प्रदान किये।

3– विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध वादी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–06–1996 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–02–1992 को निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे वादी अपीलार्थी को काउन्टर क्लेम

का जवाब व शहादत पेश करने का उचित अवसर दे तथा पुनः तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करें। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी अपीलार्थीगण का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ द्वारा दिनांक 13–2–1992 को वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 7/2 के पश्चिमी हिस्से की 02बीघा भूमि से वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादी को दिलाये जाने की डिक्री पारित की गयी थी लेकिन उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने बिना किसी आधार के मामला रिमाण्ड कर दिया। वादी द्वारा पूरे विचारण के दौरान काउन्टर क्लेम का जवाब ही पेश नहीं किया जबकि उसके पास पर्याप्त अवसर था और कानूनी आपत्ति लेते हुए यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया और प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया तो दोनों आदेशों के विरूद्ध वादी को एक अपील के बजाय दो अपीले करनी चाहिए थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अपील को ही विधि विरूद्ध स्वीकार करते हुए मामले को गलत रूप से रिमाण्ड किया है जबकि मामला रेसज्यूडिकेटा से बाधित हो जाता है। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2020 आरआरटी (1) पेज 452
2. 2019 आरआरटी (2) पेज 990
3. 2020 आरआरटी (1) पेज 401
4. 2020 आरआरटी (1) पेज198
5. 2019 आरआरटी (2) पेज 1247
6. 2019 आरआरटी (2) पेज 1130
7. 2019 आरआरटी (2) पेज 896
8. 2019 आरआरटी (2) पेज 831
9. 2019 आरआरटी (2) पेज 989

6– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल बेदखली का आदेश दिया है वादी का वाद खारिज करने के बारे में कोई डिक्री नहीं है और विचारण नयायालय का निर्णय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, प्रत्येक विवाद्यक का निर्णय देना आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना नहीं की गयी है। जब विचारण न्यायालय का निर्णय ही विधि सम्मत नहीं है तो इस आधार पर भी उक्त निर्णय अपासत किये जाने योग्य था और अपीलीय न्यायालय द्वारा सही तौर पर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया है। वादी को काउन्टर क्लेम का जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया गया अर्थात्

सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है, इस आधार पर भी रिमाण्ड आदेश सही है। मौजूदा प्रकरण में डिक्री में वाद खारिज होने का उल्लेख नहीं है एक डिक्री बनी है और उसी डिक्री की अपील की गयी है। इसलिए किसी भी सूरत में दो अपीलों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उक्त अपील खारिज की जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2015 आरआरटी (2) पेज 1283
2. 2015 आरआरटी (2) पेज 813

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया।

8– मण्डल के समक्ष कानूनी पहला प्रश्न है कि जहां वाद के जवाबदावे में काउन्टर क्लेम पेश किया गया है और वादी का वाद खारिज करते हुए काउन्टर क्लेम डिक्री किया गया है तो उस निर्णय के विरूद्ध दो अपील होगी या एक ही अपील। दूसरा प्रश्न यह भी है कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक विवाद्यक पर साक्ष्य का विवेचन करते हुए विनिश्चय नहीं किया तो क्या वो निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य है ?

9– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क है कि मौजूदा प्रकरण में वादी का वाद खारिज किया गया है और प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादी को विवादग्रस्त जमीन से बेदखली का आदेश दिया गया, इसलिए वादी को उक्त निर्णय के विरूद्ध दो अपील करनी चाहिए थी और एक अपील करने से मामला रेस–ज्यूडिकेटा की परिधि में आने से अपील सुनवाई योग्य ही नहीं थी। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर साक्ष्य का विवेचन करने से पूर्व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन किया जाना उचित है–

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2020 आरआरटी (1) पेज 452 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88 व 92–ए वादी को खातेदार के रूप में घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद–काउन्टर क्लेम के साथ जवाबदावा पेश किया– वाद खारिज किया और काउन्टर क्लेम डिक्री किया– राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार की और मामला प्रतिप्रेषित किया– वादी ने केवल एक अपील पेश की– धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आकर्षित होते है– वादी को दो अपीले पेश करना आवश्यक था– निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया।

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरटी (2) पेज 989, 2020 आरआरटी (1) पेज 198, 2019 आरआरटी(2) पेज 896 एवं 2019 आरआरटी (2) पेज 831 में उक्त सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है।

न्यायिक दृष्टान्त 2020 आरआरटी (1) पेज 401 में पृथक–पृथक दो वाद पेश किये गये थे और दोनों वादों के निर्णय एक साथ किया गया था और दो निर्णयों की एक ही अपील प्रस्तुत हुई थी। मौजूदा प्रकरण में पृथक–पृथक दो वादों का एक साथ निर्णय नहीं हुआ है, तथ्य भिन्न है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरटी (2) पेज 1130 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 224 तीन वाद पेश किये और प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया– वाद डिक्री किये किन्तु काउन्टर क्लेम पर आदेश पारित नहीं किया– केवल दो अपीलें पेश की– राजस्व अपील प्राधिकारी ने मामले प्रतिप्रेषित किये– कार्यवाही की बहुलता को टालने हेतु वादों को समेकित किया– वादी द्वारा अपील– रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है– निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त करने में तात्विक अवैधता की है।

10– अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक दृष्टान्तों में (1) 1993 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज 1202 प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (2) 1976 एआईआर सुप्रिम कोर्ट पेज 1645 लोनान कुट्टी बनाम थोमस (3) केरल उच्च न्यायालय का निर्णय गिरिजा वगैराह बनाम राज वगैराह आर.ए.एस. नम्बर 14/2015 निर्णय दिनांक 28–1–2015 का अवलम्ब लेते हुए उक्त निर्णय पारित किये गये है।

1993 एआईआर सुप्रिम कोर्ट पेज 1202 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि – "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree ..... Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non- filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit." इस न्यायिक दृष्टान्त के तथ्यों के अनुसार पृथक–पृथक दो वाद पेश हुए थे और उनको एक ही आदेश द्वारा निर्णय किया गया था और आंशिक रूप से दोनों वादों को डिक्री किया गया था और अपीलान्ट का वाद आशिंक रूप से खारिज हुआ था उसके विरूद्ध उसने कोई अपील नहीं की थी और कॉरपोरेशन के हक में जारी डिक्री के विरूद्ध ही अपील की गयी थी।

इसी प्रकार 1976 एआईआर सुप्रिम कोर्ट पेज 1645 में भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट दोनें ही पक्षकारों ने दो अलग अलग वाद सुखाधिकार के सम्बन्ध में पेश किये जो विचारण न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से दोनों ही वाद स्वीकार किये गये और दोनों निर्णयों की दो डिक्री तैयार की गयी। उक्त दोनों डिक्रीयों के विरूद्ध परस्पर दो अपीले जिला एवं सेशन न्यायाधीश के समक्ष पेश हुई, जहां अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों ही अपीलें खारिज की गयी। उक्त अपीलीय न्यायलाय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे कोई अपील नहीं की। मौजूदा प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दो वाद नहीं है ना ही दो निर्णय व डिक्री है, इसलिए उक्त दोनों

ही न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतयाः भिन्न है और माननीय केरल उच्च न्यायालय ने गिरिजा वगैराह बनाम राजन वगैराह के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28–1–2015 में आदेश 8 नियम 6–ए की व्याख्या करते हुए काउन्टर क्लेम का वाद के समान प्रभाव बताया है और क्रास सूट की सभी विशेषताऐं पूर्ण करना बताया है।

लेकिन उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तों में आदेश 20 नियम 19(2)सीपीसी का विवेचन नही किया। आदेश 20 नियम 19(2) में यह प्रावधान किया है –

19 (2) <u>मुजरा या प्रतीपदावा सम्बन्धी डिक्री की अपील</u>–किसी ऐसे वाद में, जिसमें मुद्रा का दावा (या प्रतीपदावा) किया गया है पारित कोई भी डिक्री अपील के बारे में उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जिनके अधीन वह होती यदि किसी मुजरा का दावा या प्रतीपदावा न किया गया होता।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2019 डब्ल्यूएलएन पेज 65 में इकबाल बानों बनाम रमेश चन्द व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 1993 एआईआर (एससी) पेज 1202 का विवेचन करते हुए आदेश 20 नियम 19 के प्रावधान काउन्टर क्लेम के मामले में प्रभावी होना बताया है। इस प्रावधानों की व्याख्या करते हुए ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जिन वादों में काउन्टर क्लेम पेश किया गया है उन मामलों में दो अपीलें नहीं होगी बल्कि एक ही अपील होगी। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पैरा संख्या–19 व 21 महत्वपूर्ण है, जिनका उद्धरण किया जाना समीचीन है –

19. Language of the provision is explicit, wherein, it has expressly provided that in an appeal from decree passed in suit where a counter claim has been claimed, the appeal would be filed as if no counter claim had been claimed, which necessarily means that the appeal would be against the deree passed in the main suit and the appellant would be entitled to question the passing of the decree on counter claim in the same appeal and, therefore, there is absolutely no necessity of filing separate appeal in case where the counter claim preferred in a suit has been decreed by the trial court.

21. in view of the above express provision contained in Order XX Rule 19(2) CPC, there is no substance in the submissions made by learned counsel for the respondent, therefore, the objection raised in this regard is rejected. Single appeal is held as maintainable against the decree passed by the trial court, wherein, the suit has been dismissed and counter claim has been accepted.

अर्थात् उक्त न्यायिक दृष्टान्त व सीपीसी के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में जहां set off or counter claim किसी वाद में किया है तो भी अपील उन्हीं उपबन्धों के अधीन होगी जैसे set off or counter claim नहीं किया गया हो। इस प्रावधान से स्पष्ट होता है कि साधारण वाद के डिक्री की तरह ही

अपील होगी। वाद खारिज की अलग व काउन्टर क्लेम डिक्री की अलग अलग अपील नहीं होगी।

11. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार विनिश्चय करने के बजाय एक साथ ही साक्ष्य पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि की दृष्टि में सहीं नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है उनमें न्यायिक दृष्टान्त 2015 आरआरटी (2) पेज 813 में यह निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 20 नियम 5 व आदेश 41, नियम 31,– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88, 188 व 89–राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्स की अपील स्वीकार की और निर्णय व डिक्री को अपास्त किया–अपील–प्रत्येक तनकी पर निष्कर्ष लेखबद्ध नहीं किया– मामला तनकीवार निर्णीत नहीं किया– सम्वत् 2009 से वादी का कब्जा और वह खातेदार घोषित किया गया– आदेश 20 नियम 5 व आदेश 41 नियम 31 की अपालना–निर्णीत, निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये तथा पुनः निर्णीत करने हेतु विचारण न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया।

इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2015 आरआरटी (2) पेज 1283 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 20 नियम 5– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53 व 188 –विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद डिक्री किया– राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय व डिक्री पुष्ट की– विचारण न्यायालय ने निर्णय में प्रत्येक तनकी पर निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया– आदेश 20 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान की अपालना– अपीलीय न्यायालय ने भी निष्कर्ष लेखबद्ध नहीं किये– निर्णीत, निर्णय अपास्त किये और पुनः निर्णीत करते हुए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

12– सिविल प्रक्रिया संहिता में इस सम्बन्ध में जो प्रावधान किये है वो महत्वपूर्ण है। आदेश 20 नियम 5 सीपीसी में यह प्रावधान किया गया है–

5. न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गयी है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक् विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।

अर्थात् विचारण न्यायालय को उक्त प्रावधानों के तहत प्रत्येक विवाद्यक पर साक्ष्य की विवेचना करते हुए विधिपूर्ण निष्कर्ष देने के पश्चात् निर्णय किया जाना चाहिए और इस प्रकरण में विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 13–02–1992 में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जबकि दो तनकीयां तथ्यों की एवं एक अनुतोष के बारे में कुल तीन तनकियात

बनाई गयी थी। इस प्रकरण में तो तनकी नम्बर–1 को साबित करने का भार वादी पर है और तनकी संख्या–2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है इसके बावजूद भी तनकीवार विनिश्चय नहीं करते हुए वाद का निर्णय किया गया है, जो विधिसम्मत् नहीं है।

13– अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2019 आरआरटी (2) पेज 1247 से भी होती उक्त सिद्धान्त की पुष्टि है, जिसमें यह व्यक्त किया गया है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 188–स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद–काउन्टर क्लेम के साथ जवाबदावा पेश किया–बिना तनकी विरचित किये वाद डिक्री किया तथा काउन्टर क्लेम अनिर्णीत, छोडा– राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील खारिज की– तनकियों को विरचित करना आवश्यक था– कानून की दृष्टि में निर्णय नहीं– निर्णीत, निर्णय अपास्त किये तथा पुनः निर्णय हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

14– इस प्रकार आदेश 20 नियम 5 सीपीसी व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह विधि की दृष्टि में सही निर्णय नहीं है और वह अपास्त किये जाने योग्य है और इस प्रकरण में स्वीकृत रूप से तनकीवार विनिश्चय करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में यह निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

15– प्रकरण का गुणवगुण पर विचार करने से यह प्रकट है कि वादी ने विवादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 7/2 में से 02बीघा पुख्ता स्वयं पश्चिम तरफ काश्त करना बताया है और प्रतिवादी द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम दिनांक 2–2–1987 को पेश किया है और 06बीघा 01बिस्वा भूमि पर काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही काश्त करना बताया है और लेकिन जवाब दावे के पश्चात् वादी को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 4–3–1987 को तनकी बनाई गयी। आदेश 8 नियम 6 के तहत जब काउन्टर क्लेम पेश किया जाता है तो उसका जवाब पेश करने का वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है और इस प्रकरण में वादी की जवाबदेही बन्द नहीं की गयी है और ना ही उसके द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब पेश हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दौरान वाद जरिये प्रार्थनापत्र दस्तावेज प्रस्तुत किये है उन दस्तावेजों के खण्डन में भी वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि तनकी संख्या–2 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है और उसकी साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् खण्डन साक्ष्य में वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। वादी अपनी साक्ष्य पेश करे या नहीं करे, यह उसका स्वविवेक हो सकता था लेकिन

अवसर नहीं दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया की पालना हुए बिना ही निर्णय पारित किया है और विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों पर विवेचना करते हुए ही पूनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसमें कोई अवैधता नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय का दिया गया निष्कर्ष उचित है।

16– इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण बिन्दू विनिश्चित किया गया है कि जिन वादों में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है और उनका निर्णय एक ही आदेश से किया गया है और एक ही डिक्री तैयार की गयी है तो आदेश 20 नियम 19(2) जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में एक ही अपील अपेक्षित है और आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत प्रत्येक प्रकरण में तनकी विरचित करना और तनकीवार ही निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः सभी राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालयों को इस निर्णय की एक प्रति प्रेषित की जावे जिससे वे कानूनी प्रावधानों व नवीनतम् न्यायिक दृष्टान्त जानकारी में रहे और अपीलों का निस्तारण करते समय सहूलियत व सुविधा रहे।

17– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या–11/1992 में पारित निर्णय दिनांक 10–06–1996 की पुष्टि की जाती है।

18– विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को निर्देश दिये जाते है कि वे पत्रावली प्राप्त होने से प्रकरण का छः माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करें। अनावश्यक स्थगन नहीं दिये जावे। दोनों पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक **18.02.2022** को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष